का.आ. 479.—केन्द्रीय सरकार ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में (भारत सरकार के संस्कृति विभाग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की एक अधिसूचना सं. का.आ. 1546 तारीख 5 मई, 1988 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 21 मई, 1988 में प्रकाशित की गई थी, उससे अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति उक्त संस्मारक के समीप एक सहजदृश्य स्थान पर लगा दी गई थी;

और उक्त राजपत्र जनता को 23 मई, 1988 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लाट संख्यांक
1	2	3	4	5
मध्यप्रदेश	रायसेन	मुरली खेड़ी	सतधारा स्थित स्तूप और अवशेष	नीचे उद्धृत स्थल के रेखांक में यथा दर्शित सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 10, 13 और 14 के भाग

क्षेत्र	सीमा	स्वामित्व	टिप्पणियां
6	7	8	9
11 हैक्टर	उत्तर—सर्वेक्षण प्लाट सं. 10 का अवशिष्ट भाग पूर्व—सर्वेक्षण प्लाट सं. 10, 13 और 14 का अवशिष्ट भाग दक्षिण—सर्वेक्षण प्लाट सं. 14 का अवशिष्ट भाग पश्चिम—सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 10, 13 और 14 का अवशिष्ट भाग]	वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	...